**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 614**

**08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ**

**विषय : कृषि कार्य के दौरान किसानों का कीटनाशकों के सम्पर्क में आना**

**614. श्री तिरुची शिवाः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में विगत चार वर्षों और चालू वर्ष में कृषि कार्य के दौरान कीटनाशकों के सम्पर्क में आने से किसानों की मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में पाए गए एक ही प्रकार के कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय की लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए किसानों द्वारा इन कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित करने अथवा निषिद्ध करने की योजना है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)**

**(क) एवं (ख) :** तमिलनाडु राज्‍य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले चार वर्षों तथा चालू वर्ष में कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण हुई किसानों की मृत्‍यु का विवरण निम्‍नानुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | वर्ष | मृत्‍यु की संख्‍या |
| 1 | 2014-15 | शून्‍य |
| 2 | 2015-16 | शून्‍य |
| 3 | 2016-17 | शून्‍य |
| 4 | 2017-18 | 4 |
| 5 | 2018-19  (31.01.2019 की स्‍थिति के अनुसार) | शून्‍य |

उपर्युक्‍त मृत्‍युओं में कीटनाशकों जैसे मोनेक्रोटोफोस 36 प्रतिशत एसएल, प्रोफेनोफोस 50 प्रतिशत, ईसी एवं एसिफेट 75 प्रतिशत एसपी के अननुमोदित संयोजन (कॉम्‍बिनेशन) का प्रयोग शामिल था।

**(ग) :** कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति मानवों, पशुओं तथा पर्यावरण की प्रभावोत्‍पादकता तथा सुरक्षा पर विचार करने के बाद कीटनाशकों का पंजीकरण करती है। इसके अलावा, इसके निरंतर प्रयोग के लिए कीटनाशकों की सुरक्षा का मूल्‍यांकन करने हेतु समय समय पर तकनीकी समीक्षा की जाती है। इसके आधार पऱ सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ देश में 40 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया है।

\*\*\*\*\*